न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/211/2021	2021/515	15.12.2021	06.06.2022

—उनवान—

1. राजबीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर योगी पुत्र भगवाननाथ जाति जोगी निवासी ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थीगण

3. तेजवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
4. जगवीर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
5. भंवर कंवर पत्नी स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
6. उदय सिंह पुत्र महावीर सिंह पौत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
7. हेमसिह पुत्र महावीर सिंह पौत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह
8. रूपसिंह पुत्र महावीर पौत्र स्व0 प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह निवासीयान ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील प्रार्थी
02. श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील असल अप्रार्थी सं0 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार थानागाजी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान रामेश्वरनाथ बनाम राजवीर सिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण रामेश्वरनाथ बनाम राजवीर सिंह विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रकरण में गत पेशी दिनांक 08.01.2021 को प्रार्थी के वकील उप0 थे। उस रोज मिन प्रार्थी बाहर जाने के कारण उप0 नहीं हो सका। दस्तावेज भी वकील साहब को नहीं उपलब्ध करा सका। आगामी पेशी चाही गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2021 नजदीक तारीख दी गयी और पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि आगामी पेशी पर दस्तावेज पेश कर बहस करवा लेना अन्यथा मैं फैसला कर दूंगा। जब मैं गांव पहूंचा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि आगामी पेशी पर फैसला करवा लेंगे। जिस कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को मुंतकिल कराने हेतु पूर्व में दिनांक 12.01.2021 को माननीय न्यायालय में प्रा0पत्र पेश किया था। जिस प्रा0पत्र को प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.09.2021 को नोटप्रेस कर लिया। क्योंकि नायब तहसीलदार, तहसीलदार की हैसियत से पत्रावली में सुनवाई कर रहे थे। प्रशासन ने नायब तहसीलदार से तहसीलदार का चार्ज वापस ले लिया। जिस पर प्रार्थी ने मुंतकिल प्रा0पत्र नोटप्रेस किया था। दिनांक 16.11.2021 को प्रार्थी के गांव में राजस्व कैम्प लगा तो नायब तहसीलदार ने कहा कि आपके प्रकरण में बहस सुनुंगा तथा आगामी पेशी दिनांक 10.12.2021 नियत कर दी गयी। दिनांक 10.12.2021 को आवश्यक कार्य होने के कारण थानागाजी नहीं आ सका। जिसके बाद प्रार्थी के वकील के सहायक वकील भी शादी में चले गये। पीठासीन अधिकारी एक पक्षीय रूप से बिना सुने विपक्षी पक्षकार के अनुचित प्रभाव में आकर निर्णय करने पर उतारू है। अतः उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील असल अप्रार्थी सं0 1 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि समस्त दीवानी व राजस्व न्यायालयों में माह जुलाई 2021 से सुनवाई चल रही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को मुन्तकिल कराने का प्रा.पत्र पेश किया जो दिनांक 13.09.2021 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

जिला कलक्टर अलवर

(द्वितीय) अलवर द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी बार–बार मुंतकिल पेश करने का आदि है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पैदा होती है। विवादित इंतकाल में अंकित आराजी से प्रार्थी व उसके परिवार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ग्राम आगर में ही निवास करते है, पैरवी करने में सक्षम है। विवादित इंतकाल सं0 182 की कार्यवाही करीब 40 सालों से लम्बित है। इंतकाल की कार्यवाही रोकने के लिए उक्त प्रा0पत्र मुंतकिल पेश किया गया है। अप्रार्थी की इस संबंध में ना कोई बात हुई है और ना ही तहसीलदार साहब से अपने पक्ष में फैसला कराने की बात कही है। प्रार्थी के वकील व उनके सहायक वकील को कार्यवाही की पूरी जानकारी है, कार्यवाही में रोड़ा लगा रहे है। जिस कारण गरीब अप्रार्थी को न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। प्रार्थी लडाकू व्यक्ति है। आराजी साबिक ख0नं0 673, 683, 671 हाल ख0नं0 721, 722, 732 वाके ग्राम आगर अप्रार्थी ने प्रार्थी के पिता व दादा प्रीतम सिंह उर्फ पीताम्बर सिंह से दिनांक 31.05.1979 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र उप पंजीयक थानागाजी दिनांक 02.06.1979 से खरीद किया तभी से अप्रार्थी काबिज है। विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1979 के खिलाफ प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने दीवानी न्यायालयों में विक्रय पत्र खारिज कराने की कार्यवाही की। दीवानी न्यायालयों द्वारा उक्त दावा निरस्त किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि इंतकाल सं0 182 वाके ग्राम आगर विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 25.06.2015 से कार्यवाही चल रही है। दिनांक 04.09.2019, 18.09.2019, 27.12.2019, 15.01.2021, 16.11.2021, 10.12.2021 एवं 17.12.2021 को बहस हेतु नियत थी। दिनांक 15.01.2021 से पूर्व ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर में पेश किया गया। जिसमें बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गयी। श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2021 के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार की न्यायिक शक्तियों का उपयोग नहीं करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 06.10.2021 के द्वारा नायब तहसीलदार को तहसीलदार की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने के अधिकार दिये गये। पत्रावली दिनांक 08.10.2021 को तलब की जाकर वादी व प्रतिवादी को नोटिस जारी कर पत्रावली में कैम्प आगर की दिनांक 16.11.2021 नियत की गयी। प्रार्थी व अप्रार्थी कैम्प में उप0 हुए। अप्रार्थी वकील द्वारा प्रा.पत्र पेश किया। जिसमें प्रकरण का दिनांक 13.09.2021 को नोट प्रेस कर खारिज किया गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार तहसीलदार की हैसियक से प्रकरण में सुनवाई कर रहे है। उक्त प्रकरण श्रीमान् के समक्ष मार्गदर्शन हेतु सेवा में प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी को इस न्यायालय पर विश्वास नहीं है तो पत्रावली दीगर न्यायालय में मुंतकिल करने पर इस न्यायालय को कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राथी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। इंतकाल सं0 182 वाके ग्राम आगर दिनांक 25.06.2015 से विचाराधीन है। दिनांक 04.09.2019, 18.09.2019, 27.12.2019, 15.01.2021, 16.11.2021, 10.12.2021 एवं 17.12.2021 को बहस हेतु नियत थी। दिनांक 15.01.2021 से पूर्व ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर में पेश किया गया। जिसे दिनांक 13.09.2021 को खारिज फरमाया गया है। प्रार्थी बार–बार मुंतकिल पेश करने का आदि है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार थानागाजी प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)